न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 05 सन 2023
अनवान :–

1. बलवीर सिह पुत्र बांगसिह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. कल्याणसिह पुत्र बागसिह जाति राजपुत निवासी भूकरका तहसील नोहर
3. किशनसिह पुत्र बागसिह जाति राजपुत निवासी भूकरका तहसील नोहर (फोत) 3/1 राजेन्द्रसिह 3/2 सुरेन्द्रसिह 3/3 जितेन्द्रसिह 3/4 सुशीला कंवर पुत्र/पुत्रीया किशनसिह जाति राजपूत साकिन भुकरका तहसील नोहर 3/5 सुमन कंवर पुत्री किशनसिह पत्नी सुमेरसिह जाति राजपुत निवासी आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम सन 1956

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/08/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0राजस्व अधिनियम सन 1956 की धारा 131 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 97/97 के खसरा न0 134 की 3.4520हैक्‍ खसरा न0 135 की 4.1350हैक्‍ खसरा न0 617 की 7.5880है कुल 15.1750हैक्‍ भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 97/97 के खसरा न0 617 की 30 बीधा अर्थात 7.5880हैक्‍ भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के नाम जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन नक्शा में उक्त 30 बीधा भूमि की बजाय करीब दुगनें के बराबर दिखाई देता है एवं खसरा न0 618 का रकबा नक्शा में कम मालूम होता है अर्थात नक्शा को मौका के अनुसार कायम नही किया गया है खसरा न0 617 व 618 की मेड नक्शा में गलत दिखाई गई है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है तथा काश्त के समय झगडा रहता है इसलिये दोनो खसरा के मध्य मेड को सही तोर से नक्शा में मुताबिक जमाबन्दी करवाने के अधिकारी है।

न्यायालय हाजा में प्रार्थी ने पूर्व में भी आवेदन पेश किया था जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 05.12.1977 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेश जारी पारित किये गये थे परन्तु पटवारी हल्का ने नक्शा दुरूस्त नही किया गया है प्रार्थी ने पटवारी हल्का से बार बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी नक्शा संशोधन नही किया गया है प्रार्थी ने तहसीलदार नोहर से सम्पर्क करने पर नया आदेश लाने को कहा तब आवेदन पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 97/97 के खसरा न0 617 की मुता[illegible]बन्दी नक्शा नजरी को दुरूस्त किया जावे तथा खसरा न0 617 व [illegible] मध्य की मेड लाईन सही एवं दुरूस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर द[illegible]जिस्टर किया जाक[illegible]र्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 से 3/1 से 3/5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की गई तथा तरतीबी प्रतिवादी सख्या 1 से 3/1 से 3/5 का अनुतोष प्रार्थी में निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 97/97 के खसरा न0 617 की 30 बीधा अर्थात 7.5880हैक भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के नाम जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन नक्शा में उक्त 30 बीधा भूमि की बजाय करीब दुगनें के बराबर दिखाई देता है एवं खसरा न0 618 का रकबा नक्शा में कम मालूम होता है अर्थात नक्शा को मौका के अनुसार कायम नही किया गया है खसरा न0 617 व 618 की मेड नक्शा में गलत दिखाई गई है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है तथा काश्त के समय झगडा रहता है इसलिये दोनो खसरा के मध्य मेड को सही तोर से नक्शा में मुताबिक जमाबन्दी करवाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 97/97 के खसरा न0 134 की 3.4520हैक खसरा न0 135 की 4.1350हैक खसरा न0 617 की 7.5880है कुल 15.1750हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 617 में 30 बीधा अर्थात 7.5880हैक भूमि है किन्तु नक्शा में देखने पर रकबा 30 बीधा से अधिक दुगने कें लगभग दिखाई पडता है जो प्रस्तुत नजरीय नक्शा से स्पष्ट है

अर्थात रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 617 का रकबा नक्शा में जमाबन्दी के अनुसार दर्ज नही है इसीप्रकार रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 618 का रकबा नक्शा में जमाबन्दी के अनुसार नही है खसरा न0 617 में अधिक दिखाई देता है और खसरा न0 618 में कम दिखाई पडता है दोनो खसरे एक दुसरे के चिपते खसरा है जिनके मध्य की लाईन मेड को सही तौर से अंकित नही किया गया जिससे नक्शा में रकबा सही तौर से दिखाई नही पड रहा है जिसे संशोधन करवाने का प्रार्थी अधिकारी है

प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी नक्शा संशोधन करवानें हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.1977 को खसरा न0 617 व खसरा न0 618 के मध्य की मेड जो नक्शा में गलत तौर से दर्शाई गई है को दुरूस्त करने के आदेश पारित किये गये थे किन्तु आदेश की पालना में नक्शा को संशोधन नही किया गया है जो न्यायोचित नही है तहसीलदार का दायित्व था कि वह आदेशानुसार नक्शा को समय पर दुरूस्त किया जाता तो आज यह प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होती।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि मौका पैमाईश/जांच की जाकर रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 617 व खसरा न0 618 में जमाबन्दी में दर्ज रकबा के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा खसरा न0 617 व 618 के मध्य मेड /लाईन को सही एवं दुरूस्त किया जाकर खसरा न0 617 व 618 का नक्शा संशोधन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/08/24 द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)